न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2019

अनवान :

1. रामकिशन पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रावता पुत्र चन्दूरू जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रामेश्वर पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. आदराम पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
5. सरस्वती पुत्री रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
6. गिरदावरी पुत्री रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
7. कमलादेवी पुत्री रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : वादी

निर्णय **दिनांक :** 23-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 240/233 के खसरा सं0 334 की 0.114 है0 खसरा सं0 343 की 5.718 है0 खसरा सं0 347 की 2.606 है0 खसरा सं0 513/3 की 2.188 है0 खसरा सं0 661 की 9.665 है0 कुल किता 5 की 20.291 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रावता वल्द चन्दरू के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा चन्दरू की खातेदारी हुआ करती थी। चन्दरू के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी रावता कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली, जबकि वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रावता के नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी हक एवं अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। वादभूमि की वादी के दादा चन्दरू के समय की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जो पुराने खसरा 29 व 56 से वर्तमान 334 बना है तथा खसरा सं0 59 से 343 बना है एवं खसरा सं0 60 से 347 एंव खसरा सं0 253 से 513/2 व 661 बने है। जिससे वादभूमि वादी की दादालाई होना साबित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का भी प्रतिवादी रावता के साथ साथ जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 5 ता 7 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि वादी रामकिशन एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 रावता, रामेश्वर, ओमप्रकाश, आदराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी रावता की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रावता के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने इकबाल दावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 8 व 9 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामकिशन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी कागजात चार साला ग्राम भाडी सम्वत् 2004 से 07 प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 240/223 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 प्रदर्श 4, 5, 6, 7 व 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का भी प्रतिवादी रावता के साथ साथ जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 5 ता 7 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। वाद भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 5 ता 7 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी कागजात चार साला ग्राम भाडी सम्वत् 2004 से 07 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 प्रदर्श 4, 5, 6, 7 व 8 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा चन्दरू वल्द दुदा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रावता पुत्र चन्दरू के वारिसान में चार पुत्र रामेसर, ओमप्रकाश, रामकिशन, आदराम व तीन पुत्रियां सरस्वती, गिरदावरी, कमलादेवी होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 240/233 के खसरा सं0 334 की 0.114 है0 खसरा सं0 343 की 5.718 है0 खसरा सं0 347 की 2.606 है0 खसरा सं0 513/3 की 2.188 है0 खसरा सं0 661 की 9.665 है0 कुल किता 5 की 20.291 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रावता वल्द चन्दरू के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रावता के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पांचों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2019

अनवान :

1. रामकिशन पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रावता पुत्र चन्दूरू जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रामेश्वर पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. आदराम पुत्र रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
5. सरस्वती पुत्री रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
6. गिरदावरी पुत्री रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
7. कमलादेवी पुत्री रावता जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 240/233 के खसरा सं0 334 की 0.114 है0 खसरा सं0 343 की 5.718 है0 खसरा सं0 347 की 2.606 है0 खसरा सं0 513/3 की 2.188 है0 खसरा सं0 661 की 9.665 है0 कुल किता 5 की 20.291 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रावता वल्द चन्दरू के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रावता के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पांचों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 15:41:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: